

## कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1319/14-10 दिनांक: अलीगढ़, अक्टूबर 09, 2018

सेवा में,


प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
अलीगढ़।

**विषय:** अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) की बांयी पटरी पर ग्राम-उखलाना के खसरा संख्या-1470 में एससार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/06/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/10 दिनांक 12.04.2018, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2973/अलीगढ़/13881/2015 दिनांक 24.04.2018

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपनी स्पष्ट सहमति/संस्तुति सहित प्रेषित करने हेतु लिखा गया है परन्तु काफी लम्बा समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आपके द्वारा अभी तक आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।


अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में अपनी स्पष्ट सहमति/संस्तुति सहित इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।  
12

पत्रांक 1319 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एससार ऑयल लि0, उ-5, से0-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।  
12

seen  
CP.